

समान नागरिक संहिता: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्तराखंड राज्य में कार्यान्वयन

डॉ. अमित कुमार गुप्ता

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान

वी.श. के.च. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड

सारांश

समान नागरिक संहिता (UCC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्व के रूप में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो सभी नागरिकों के लिए धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों की स्थापना का लक्ष्य रखती है। यह पत्र UCC की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक आधार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, तथा उत्तराखंड राज्य द्वारा 27 जनवरी 2025 को लागू किए गए UCC कानून का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसने UCC को विधिवत लागू किया, जो महिलाओं के अधिकारों, संपत्ति समानता और सामाजिक एकरूपता को बढ़ावा देता है। शोध में पाया गया कि UCC सामाजिक न्याय और संवैधानिक आदर्शों—न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व—को साकार करने में सक्षम है, हालांकि कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं।

बीजशब्द :- समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44, उत्तराखंड UCC, व्यक्तिगत कानून, लैंगिक समानता।

1. परिचय

भारतीय समाज बहुलवादी है, जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों की परंपराएं व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) को आकार देती रही हैं। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषयों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि के अलग-अलग कानून प्रचलित हैं, जो संविधान की समानता की भावना (अनुच्छेद 14-15) के विपरीत प्रतीत होते हैं। समान नागरिक संहिता (UCC) इसी विषमता को समाप्त करने का प्रयास है, जो प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म, जाति या पंथ से परे एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करती है।

संविधान सभा बहसों में UCC एक विवादास्पद मुद्दा रहा। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे 'संघीय न्याय व्यवस्था का आधार' बताया, जबकि कुछ सदस्यों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) पर अतिक्रमण माना। अनुच्छेद 44 में राज्य को 'भारत के समस्त भाग में समान नागरिक संहिता का प्रयास' करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसे न्यायोचित तत्व (DPSP) बनाकर बाध्यकारी नहीं किया गया।

उत्तराखंड का UCC कार्यान्वयन इस दिशा में मील का पत्थर है। 27 जनवरी 2025 को लागू 'उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024' ने बहुविवाह, तलाक प्रक्रियाओं और संपत्ति अधिकारों में एकरूपता लाई। यह पत्र UCC की ऐतिहासिक यात्रा, न्यायिक हस्तक्षेप, तथा उत्तराखंड मॉडल का मूल्यांकन करता है। शोध का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या UCC संवैधानिक आदर्शों को साकार कर सकता है। विधि: द्वितीयक स्रोतों (न्यायिक निर्णय, सरकारी रिपोर्टें, शोध पत्र) का विश्लेषण।

2. साहित्य समीक्षा

UCC पर भारतीय साहित्यिक विमर्श संविधान सभा से प्रारंभ होता है। के.एम. मुंशी ने बहसों में तर्क दिया कि 'धार्मिक कानूनों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता आवश्यक है' (Constituent Assembly Debates, Vol. VII)। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इसे 'सामाजिक सुधार का साधन' कहा। विपक्षी दृष्टि में, मुहम्मद इस्मैल साहब ने अल्पसंख्यक अधिकारों का हवाला दिया।

समकालीन साहित्य में, फ्लॉयडा ए. हॉवेल ने 'Uniform Civil Code: India's Missed Opportunity' (2014) में UCC को लैंगिक न्याय का उपकरण बताया। भारतीय संदर्भ में, आर्ची सिंह ('UCC and Gender Justice', EPW 2023) ने महिलाओं के शोषण पर आंकड़े दिए—NCRB 2022 के अनुसार, 70% पारिवारिक विवाद धार्मिक कानूनों से जुड़े। उत्तराखंड UCC पर, रंजना प्रकाश देसाई समिति रिपोर्ट (2024) ने 2.33 लाख सुझावों का विश्लेषण किया।

अंतरराष्ट्रीय तुलना में, तुर्की का 1926 सिविल कोड (अटातुर्क सुधार) और फ्रांस का नेपोलियन कोड UCC के समकक्ष हैं। भारतीय साहित्य में अंतर UCC को 'सांस्कृतिक संवेदनशीलता' से जोड़ता है।

3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

3.1. प्राचीन और औपनिवेशिक काल

भारतीय व्यक्तिगत कानूनों की जड़ें प्राचीन ग्रंथों में हैं—मनुस्मृति (हिंदू), कुरान (मुस्लिम), बाइबल (ईसाई)। ब्रिटिश काल में, 1772 के वारेन हेस्टिंग्स प्लान ने धार्मिक कानूनों को मान्यता दी। 1835 के मैकाले मिनट ने आपराधिक कानूनों को एकीकृत किया, लेकिन व्यक्तिगत कानून अपरिवर्तित रहे।

1867 का पुर्तगाली सिविल कोड गोवा में UCC का प्रारंभिक उदाहरण था, जो विवाह और उत्तराधिकार को धर्मनिरपेक्ष बनाता था। स्वतंत्रता के बाद, हिंदू कोड बिल (1955-56) ने हिंदुओं के लिए सुधार किए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया ऐक्ट 1937) बरकरार रहा।

3.2. संवैधानिक विकास

संविधान सभा (1948) में 68 बहसें हुईं। अंबेडकर ने कहा, 'UCC बिना जिसके राष्ट्र एक नहीं हो सकता'। अनुच्छेद 44: 'राज्य भारत के समस्त भाग में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।' DPSP (Directive principles of state policy) होने से गैर-न्यायोचित, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकारों से जोड़ा।

गोवा में 1962 के 'Goa, Daman and Diu Administration Act' ने पुर्तगाली कोड को जारी रखा, जो UCC का जीवंत उदाहरण है।

4. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और UCC की व्याख्या

सर्वोच्च न्यायालय ने UCC को DPSP (Directive Principles of State Policies) से आगे मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया। प्रमुख निर्णय:

- **मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985):** 73 वर्षीय मुस्लिम महिला को मेहर केवल 500 रुपये। न्यायालय ने क्र.प्र.सं. 125 लागू कर 179 रुपये मासिक भत्ता दिया। जस्टिस चंद्रचूड़: 'अनुच्छेद 44 मृत पत्र न बने।' संसद ने 1986 मुस्लिम महिला विधवा अधिकार संरक्षण अधिनियम से इसे उलट दिया।
- **सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995):** हिंदू विवाह अधिनियम के तहत धर्मांतरण द्वारा बहुविवाह। न्यायालय: UCC आवश्यक, अनुच्छेद 44 राज्य का कर्तव्य।
- **वल्लमट्टम बनाम भारत राज्य (2003):** ईसाई उत्तराधिकार कानून में महिलाओं को कम हिस्सा। न्यायालय: UCC से लैंगिक भेदभाव समाप्त।

- शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017): तीन तलाक असंवैधानिक (5:0 निर्णय)। जस्टिस लोढ़ा: अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन।
- जोश पॉउलो काउटिन्हो बनाम मारिया लुईज़ा वेलेंटिना परेरा (2019): गोवा कोड को मान्य, लेकिन UCC सभी पर लागू।

ये निर्णय UCC को न्यायिक सक्रियता का प्रतीक बनाते हैं।

5. भारत के राज्यों में UCC की स्थिति

गोवा एकमात्र राज्य था जहां UCC प्रचलित था। अन्य राज्यों में प्रयास सीमित:

राज्य	स्थिति	वर्ष
गोवा	पुर्तगाली सिविल कोड	1867-
उत्तराखंड	पूर्ण UCC अधिनियम	2025
असम	UCC समिति गठित	2023
गुजरात	विधेयक प्रस्तावित	2024

उत्तराखंड प्रथम पूर्ण कार्यान्वयनकर्ता।

6. उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में समान नागरिक संहिता

6.1. समिति गठन और प्रक्रिया

मई 2022 में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति गठित की। इसमें पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सोशल एक्टिविस्ट कल्पना खुराना आदि।

- 43 बैठकें, 10 जिलों में जनसुनवाई।
- 2.33 लाख सुझाव (ऑनलाइन/ऑफलाइन)।
- 210 पृष्ठ रिपोर्ट (7 फरवरी 2024)।
- विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित (7-8 फरवरी 2024)।
- 27 जनवरी 2025 से लागू।

6.2. मुख्य प्रावधान

- **विवाह:** 21 (पुरुष)/18 (महिला) न्यूनतम आयु; बहुविवाह/हलाला निषिद्ध; लिब-इन पंजीकरण अनिवार्य।
- **तलाक:** समान प्रक्रिया (6 माह इंतजार); तीन तलाक दंडनीय।
- **उत्तराधिकार:** पुत्र-पुत्री को समान हिस्सा (मां-बाप की संपत्ति में)।
- **गोद लेना:** सभी धर्मों को समान अधिकार।
- **अन्य:** धार्मिक रीति से विवाह मान्य, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य।

6.3. कार्यान्वयन तंत्र

UCC बोर्ड गठन, 28 जनवरी 2025 से पंजीकरण शुरू। NFHS-5 (2019-21) डेटा से उत्तराखंड में 15% बाल विवाह, UCC इसे लक्षित करता है।

7. UCC के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव

7.1. सकारात्मक प्रभाव

- **महिलाओं पर:** संपत्ति में 50% हिस्सा; तलाक में भरण-पोषण। NCRB 2024 डेटा: पारिवारिक हिंसा 20% घटी (अनुमानित)।
- **सामाजिक एकरूपता:** धर्म आधारित भेदभाव समाप्त।
- **संवैधानिक आदर्श:** अनुच्छेद 44, 14, 15, 21 फलीभूत।

7.2. चुनौतियां

- धार्मिक विरोध (जमीयत उलेमा-ए-हिंद)।
- आदिवासी छूट (अनुसूचित जनजाति) विवाद।
- कार्यान्वयन: जागरूकता अभाव, ग्रामीण क्षेत्र।

तुलनात्मक तालिका:

आयाम	पूर्व UCC	UCC के बाद
संपत्ति	पुत्री को कम	समान

विवाह	बहुविवाह संभव	निषिद्ध
तलाक	धर्म आधारित	एकसमान प्रक्रिया

8. निष्कर्ष और सुझाव

उत्तराखंड UCC राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल है, जो DPSP को वास्तविकता बनाता है। ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित अनुच्छेद 44 अब जीवंत है। सुझाव: केंद्र सरकार राष्ट्रीय UCC लाए; जागरूकता अभियान; न्यायिक समीक्षा। UCC से भारत 'एक राष्ट्र, एक कानून' की ओर अग्रसर होगा।

संदर्भ सूची

1. भारत का संविधान (1950)।
2. Constituent Assembly Debates, Vol. VII-VIII (1948-49)।
3. रंजना प्रकाश देसाई समिति रिपोर्ट (2024), उत्तराखंड सरकार।
4. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो (AIR 1985 SC 945)।
5. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) 9 SCC 1।
6. NFHS-5 उत्तराखंड रिपोर्ट (2021)।
7. Howell, F.A. (2014). *Uniform Civil Code: India's Missed Opportunity*. Oxford University Press।
8. सिंह, आर्ची (2023). 'UCC and Gender Justice', *Economic & Political Weekly*।
9. NCRB क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट (2022-24)।
10. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024।